

का पेश हो।

6.5.25

बकुलाय पशुवधमान एम.एस. / पीठासीन
अधिकारी दत्त राजाराम ह
होने से प्रकरण दिनांक 13/5/25
को पेश हों।


आज्ञा से

(5)

रीडर

13.5.25

पत्रावली पेश हुई। वही इधिवेका उपस्थित हुई।
बाटीया का वाद पोषणीय नहीं होने से बाजि किया जाना
ही निश्चित निर्णय-पुष्टि से लिखाया जाकर शा.क. किया जाना
निर्णय से इजलास सुनाया गया प्रकरण फैसल शुका होकर
गम्बर से कर हो।


(सोनिश कुमार)
IAS